# विद्युत लोकपाल
## मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
## पंचम तल, "मेट्रो प्लाज़ा", बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

**प्रकरण क्रमांक L00-44/17**

मेसर्स जयहिन्द मोण्टुपेट प्रा.लि. — आवेदक
औद्योगिक क्षेत्र, सेक्टर नं. –3
ए.बी. रोड, देवास (म.प्र.)–455001

**विरूद्ध**

कार्यपालक यंत्री (शहर संभाग) — अनावेदक
म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि.,
देवास (म.प्र.)–455001

**आदेश**
**(दिनांक 22.02.2018 को पारित)**

01 मेसर्स जयहिन्द मोण्टुपेट प्रा.लि. देवास द्वारा विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इंदौर के पत्र दिनांक 30.12.2017 से असंतुष्ट होकर अपील अभ्यावेदन दिनांक 18.01.2018 प्रस्तुत किया गया है।

02 विद्युत लोकपाल कार्यालय में उक्त अभ्यावेदन को प्रकरण क्रमांक एल00–44/17 में दर्ज कर तर्क हेतु उभय पक्षों को सुनवाई के लिए बुलाया गया ।

03 आवेदक द्वारा बताया गया कि सतर्कता विभाग इंदौर द्वारा निरीक्षण के उपरांत प्रस्तुत डिमाण्ड नोट में उल्लेखित बकाया राशि रूपये 169901/– कालवाधित होने के कारण वसूल करने योग्य नहीं है, अतः उनके द्वारा एक शिकायत विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इंदौर में दिनांक 15.12.2017 को प्रस्तुत की थी। फोरम द्वारा उनकी शिकायत को गुणदोष के आधार पर निराकृत नहीं कर केवल इस आधार पर कि चूंकि रिकवरी विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 के अंतर्गत निकाली गई है, अतः फोरम को उक्त शिकायत सुनने की अधिकारता नहीं है, शिकायत निरस्त कर दी गई एवं सक्षम अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये। इस कारण आवेदक द्वारा विद्युत लोकपाल के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई।(ओई–1)

04 उपरोक्त अपील पर दिनांक 02.02.2018 को सुनवाई प्रारंभ की गई जिसमें आवेदक के सलाहकार श्री एम.डी. गोयल उपस्थित हुए तथा अनावेदक की ओर से श्री अरविन्द कुमार सिंह कार्यपालन यंत्री (सतर्कता) एवं श्री उमेश चौरसिया, सहायक यंत्री, शहर देवास उपस्थित हुए।

05 सुनवाई के दौरान अनावेदक प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि राजस्व संग्रहण के कार्यो में व्यस्त रहने के कारण प्रकरण का गंभीरता से अध्ययन नहीं कर सके तथा सुनवाई की अगली तिथि

देने का अनुरोध किया गया। अनावेदक को निर्देशित किया गया कि वे आवेदक के विरूद्ध जारी अंतिम निर्धारण आदेश के बाद उनसे वसूली के संबंध में जारी किये गये नोटिस किस प्रकार भेजे गये, संबंधित रजिस्टर एवं पावती अगली तिथि दिनांक 15.02.2018 में प्रस्तुत करें।

06 दिनांक 15.02.2018 को पुनः सुनवाई प्रारंभ की गई जिसमें आवेदक की ओर से सलाहकर श्री एम.डी. गोयल उपस्थित हुए तथा अनावेदक की ओर से श्री आर.एल. अहिरवार, कार्यपालन यंत्री, देवास उपस्थित हुए।

07 अनावेदक की ओर से अवगत कराया गया कि चूंकि आवेदक का प्रकरण विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 के अंतर्गत बनााय गया है अतः मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम 2009 के प्रावधान के तहत माननीय विद्युत लोकपाल को प्रकरण सुनने का अधिकार नहीं है।

08 अनावेदक के उपरोक्त तर्क के संबंध में उन्हें बताया गया कि अपीलार्थी द्वारा विद्युत लोकपाल के समक्ष धारा 126 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत नहीं की गई, उनके द्वारा अपील में यह मांग की गई कि अनावेदक द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56(2) के तहत राशि वसूल करने का अधिकारी नहीं है क्योंकि वसूल की जा रही राशि को लगभग दो वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो गया है । अनावेदक को निर्देशित किया गया कि वे विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56(2) के प्रावधान के बारे में यदि कुछ कहना चाहते हैं तो सुनवाई की अगली तारीख दिनांक 21.02.2018 को उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें।

09 दिनांक 21.02.2018 को सुनवाई प्रारंभ की गई जिसमें अनावेदक की ओर से पुनः वही तर्क दिया गया जो उनके द्वारा पूर्व में दिया गया था किप्रकरण विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 के अंतर्गत बनाया गया है । जबकि अनावेदक को दिनांक 15.2.2018 को सुनवाई के दौरान यह स्पष्ट अवगत कराया गया था कि आवेदक द्वारा अपील विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56(2) के अंतर्गत की गई है। अतः इस धारा के संबंध में आप कोई तर्क अथवा लिखित वयान प्रस्तुत करना चाहें तो अगली तिथि में प्रस्तुत करें। अतः इससे स्पष्ट है कि अनावेदक के पास उपरोक्त राशि वसूल करने हेतु की गई कार्यवाही के पक्ष में प्रस्तुत करने हेतु कोई दस्तावेज नहीं है एवं उनके द्वारा समय रहते उक्त राशि वसूल करने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिस कारण उक्त राशि धारा 56(2) के अनुसार कालवाधित हुई।

**अनावेदक द्वारा अपने प्रति उत्तर में मुख्यतः 3 बिन्दु निम्नानुसार प्रस्तुत किये–**

10 उपभोक्ता फोरम द्वारा आवेदक की शिकायत इस आधार पर निरस्त कर दी गई कि उन्हें विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 के प्रकरणों में सुनवाई का अधिकार नहीं है, जिसका कि उल्लेख मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2009 की कंडिका 3.3 में भी किया है। अतः प्रस्तुत अपील इस विनियम के तहत विद्युत लोकपाल को भी सुनने का अधिकार नहीं है। चूंकि इसी विनियम की कंडिका 4.11 में विद्युत लोकपाल के क्या–क्या कर्त्तव्य हैं, का उल्लेख किया गया है जिसमें कि विद्युत अधिनियम 2003 के भाग 10, 11, 12, 14 एवं 15 के अनुसार सुनवाई का अधिकार नहीं है, अतः अपील निरस्त की जाए।

11 आवेदक द्वारा प्रस्तुत अपील जिसमें कि इस बात का उल्लेख किया है कि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56(2) के तहत विवादित राशि वसूल करने का अधिकार नहीं है क्योंकि वसूल की जा रही राशि को लगभग दो वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो गया है। इस संबंध में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56(2) का अवलोकन किया गया जो निम्नानुसार है–

***56(2) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस धारा के अधीन किसी उपभोक्ता से शोध्य (वसूली योग्य) कोई रकम उस तारीख से जब ऐसी रकम प्रथमतः शोध्य हो गई है दो वर्ष की कालावधि के पश्चात् वसूल किये जाने योग्य नहींहोगी जब तक ऐसी रकमसप्लाई की गई विद्युत के बकाया चार्जेज के रूप में वसूली योग्य निरंतर न दर्शाई गई हो, और लायसेन्सी विद्युत की सप्लाई विच्छेद नहीं करेगा/ नहीं काटेगा।***

उपरोक्त के अनुसार कहीं भी इसका उल्लेख नहीं है कि विद्युत का अनाधिकृत उपयोग के प्रकरण में निकाली गई राशि पर यह कंडिका प्रभावशील नहीं होगी। जबकि कंडिका 56(1) में स्पष्ट उल्लेख है कि कोई भी व्यक्ति विद्युत के लिए किसी चार्ज के भुगतान या अन्य किसी रकम देने की अव्हेलना करता है तो अनुज्ञप्तिधारी द्वारा 15 दिन का नोटिस देकर विद्युत कनेक्शन विच्छेदित कर सकता है। इससे स्पष्ट है कि विद्युत बिल के अलावा अन्य कोई भी रिकवरी के लिए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56(2) भी लागू होगी, अतः अनावेदक की उक्त आपत्ति खारिज की जाती है।

12 अनावेदक को विद्युत लोकपाल द्वारा कहा गया कि उनका प्रतिउत्तर विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 के आधार पर है तथा उसमें उठाई गई आपत्ति को उपरोक्त वर्णित कारणों से खारिज कर दिया गया। अब इसके अलावा कोई और तर्क या लिखित वहस प्रस्तुत करना हो तो उसके लिए समय दिया जा सकता है। इस पर अनावेदक द्वारा कहा गया कि हमने अपनी लिखित बहस प्रस्तुत कर दी है जिसके आधार पर ही निर्णय लिया जाए। उभय पक्षों द्वारा दिये गये तर्क, लिखित वहस की विवेचना करने के उपरांत प्रकरण आदेश के लिए सुरक्षित रखा गया।

**उपरोक्त दोनों पक्षों की लिखित वहस एवं तर्क के आधार पर निम्न तथ्य सामने आये–**

13 अनावेदक द्वारा बताया गया कि आवेदक का विद्युत कनेक्शन दिनांक 23.4.2015 को सतर्कता दल द्वारा चैक किया गया जिसमें कि भारवृद्धि का प्रकरण बनाया जाकर अंतिम निर्धारण आदेश दिनांक 28.4.2015 को रूपये 169901/– जारी किया गया। (ओई–2)

14 अनावेदक द्वारा बताया गया कि निर्धारण आदेश दिनांक 28.4.2015 को डाक द्वारा भेजा गया (ओई–3)

15 आवेदक द्वारा बताया गया कि उन्हें प्रथम बार दिनांक 9.8.2017 को उक्त विवादित राशि रूपये 169901/– जमा कराने हेतु नोटिस प्राप्त हुआ।(ओई–4)

16 आवेदक द्वारा बताया गया कि कार्यपालन यंत्री, देवास को पत्र लिखकर आपत्ति ली गई कि पंचनामे के अनुसार परिसर का भार 45 कि.वा. स्वीकृत भार के विरूद्ध 154 कि.वा. पाया गया था। हमारे द्वारा मौके पर ही संयोजित भार की गणना पर आपत्ति ली गई थी कि उपकरण

जो जांच के दौरान संयोजित नहीं पाये जाकर हमारे परिसर के स्टोर में रखे पाये गये थे उनकी भी संयोजित भार में गणना करक ली गई। (ओई–5)

17 मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा वर्ष 2014–15 के लिए जारी टैरिफ आदेश एवं उसके पश्चात जारी टैरिफ आदेश में 25 एचपी के ऊपर संयोजित भार से अधिक के लिए डिमाण्ड आधारित टैरिफ अनिवार्य कर दिया है तथा विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कंडिका 3.4 के अनुसार उपभोक्ता के यहॉ संविदा भार 112 कि.वा. बिना किसी संयोजित भार के उच्चतम सीमा के आधार पर विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभार भुगतान के अधीन होगा एवं विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 में स्वीकृत विद्युत भार से अधिक भार मिलने पर धारा 126 के तहत कार्यवाही की जाएगी, का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। अतः उपरोक्त दोनों प्रावधानों के अनुसार प्रकरण आवेदक के विरूद्ध धारा 126 के तहत किस आधार पर बनाया गया स्पष्ट नहीं है। चूंकि आवेदक द्वारा उनके विरूद्ध धारा 126 के अंतर्गत बनाये गये प्रकरण को चुनौती नहीं दी गई, अतः इस संबंध में कोई विचार करना उचित नहीं होगा।

18 आवेदक द्वारा बताया गया कि उनके परिसर का निरीक्षण किये जाने के पश्चात जो निर्धारण आदेश दिनांक 28.4.2015 (ओई–3) को जारी होना बताया गया । अतः उक्त रिकवरी विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56(2) के तहत कालवाधित हो चुकी है जिसके लिए मेरे द्वारा फोरम में शिकायत प्रस्तुत की थी परन्तु फोरम द्वारा यह कहकर शिकायत निरस्त कर दी गई कि उन्हें धारा 126 के प्रकरण सुनने का कोई अधिकार नहीं है। इससे क्षुब्ध होकर हमारे द्वारा विद्युत लोकपाल में अपील प्रस्तुत की गई।

19 उभय पक्षों द्वारा किये गये तर्क एवं लिखित वहस सुनने के पश्चात एवं प्रकरण में कोई निर्णय लेने के पूर्व विद्युत अधिनियम 2003 में दिये गये प्रावधान एवं विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी विद्युत प्रदाय संहिता 2013 तथा मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2009 में दिये गये प्रावधानों का अवलोकन किया गया । जिसके अनुसार–

ए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 की उपधारा 2 जो निम्नानुसार है –

***126 (2) The order of provisional assessment shall be served upon the person in occupation or possession or in charge of the place or premises in such manner as may be prescribed.***

उपरोक्त बिन्दु के संबंध में मध्यप्रदेश शासन ने अपनी अधिसूचना क्रमांक 4300–13–2004 दिनांक 22.7.2004 में उल्लेख किया है कि निर्धारण अधिकारी द्वारा अनंतिम निर्धारण आदेश उस व्यक्ति को जो विद्युत का अनाधिकृत उपयोग करने में लिप्त था, निरीक्षण तारीख से 5 दिन के अंदर निर्धारण आदेश तामील किया जाएगा । इसी अधिसूचना में अनंतिम निर्धारण आदेश तामील करने का प्रारूप भी निर्धारित किया गया है। अनंतिम निर्धारण आदेश प्राप्त होने के पश्चात 7 दिन के भीतर उस व्यक्ति को अपनी आपत्ति प्रस्तुत करने का प्रावधान है एवं अनंतिम आदेश के विरूद्ध आपत्ति लिये जाने पर आपत्ति का निराकरण उस व्यक्ति को सुनवाई के पश्चात अनुज्ञप्तिधारी/अनावेदक द्वारा 30 दिन के अंदर प्रकरण का निराकरण करना है। (ओई–6)

बी मध्यप्रदेश शासन द्वारा नोटिस, आदेश तथा दस्तावेज के तामील करने के नियम की अधिसूचना क्रमांक 2312–तेरह–2006 दिनांक 7.4.2006 जारी की है जिसमें नोटिस, आदेश एवं दस्तावेज को कूरियर या रजिस्टर्ड पत्र पावती सहित से भेजा जाना है। संबंधित व्यक्ति द्वारा तामीली न लेने पर दो व्यक्तियों के गवाहों में नोटिस परिसर के सहजदृश्य भाग में दो साक्षियों की उपस्थिति में चश्पा करना है तथा संबंधित व्यक्ति के रहने या कारोबार के ज्ञात स्थान के क्षेत्र में परिचलन वाले समाचार पत्र में नोटिस, आदेश तथा दस्तावेज का प्रकाशन किया जाना है। (ओई–7)

सी मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2009 की कंडिका 3.3 के अनुसार विद्युत लोकपाल को विद्युत अधिनियम 2003 के भाग 10, 11, 12, 14 एवं 15 के अनुसार सुनवाई का अधिकार नहीं है जबकि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56(2) भाग 6 के अंतर्गत है जिस पर सुनवाई करने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया।

डी विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56(2) के प्रावधान निम्नानुसार हैं –

***56(2) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, no sum due from any consumer, under this section shall be recoverable after the period of two years from the date when such sum became first due unless such sum has been shown continuously as recoverable as arrear of charges for electricity supplied and the licensee shall not cut off the supply of the electricity:***

उपरोक्त से स्पष्ट है कि विद्युत बिल अथवा कोई अन्य राशि जो कि व्यक्ति से ली जानी है दो साल की अवधि के पश्चात वसूल की जाने योग्य नहीं होगी। जब तक की उसे बकाया चार्ज के रूप में वसूली योग्य राशि निरंतर न दर्शायी गई हो।

ई मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कंडिका 8.33 जो निम्नानुसार है का अवलोकन किया गया –

***8.33 अतिरिक्त प्रतिभूति निक्षेप की मांग को छोड़कर, अंकेक्षण (audit) अथवा सतर्कता (vigilance) संबंधी वसूली तथा अन्य बकाया राशि की वसूली के लिये अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पृथक देयक मासिक आधार पर जारी किये जाएंगे जिसके अन्तर्गत ऐसे देयकों के साथ देयक तैयार करने के आधार का विवरण तथा देयक की अवधि इत्यादि लिखित में प्रदान की जाएगी। उपरोक्त देयकों का भुगतान निर्दिष्ट की गई अवधि (जो 15 पूर्ण दिवस से कम न होगी) की बकाया राशि को उपभोक्ता के आगामी देयकों में निरन्तर जोड़ा जाएगा जब तक उपभोक्ता द्वारा देयक का भुगतान नहीं कर दिया जाता है या अन्यथा उसका समायोजन नहीं कर दिया जाता।***

उपरोक्त प्रावधान में भी यह स्पष्ट है कि अंकेक्षण एवं सतर्कता संबंधी वसूली तथा अन्य व्यय किसी की वसूली के लिए अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पृथक देयक जारी किया जाएगें जिसमें कि देयकों के साथ देयक तैयार करने का आधार का विवरण, देयक की अवधि के बारे में सूचना प्रदान की जाएगी। उपरोक्त देयकों के भुगतान हेतु कम से कम 15 दिन की अवधि देनी होगी

तथा उसके बाद भुगतान नहीं करने पर उपभोक्ता के आगामी देयक में राशि निरंतर जोड़ी जाएगी जबकि कि उपभोक्ता द्वारा भुगतान नहीं कर दिया जाता या उसका समायोजन नहीं कर दिया जाता।

**उभय पक्षों द्वारा दिये गये तर्क एवं प्रस्तुत लिखित वहस के आधार पर निष्कर्ष निकलता है कि –**

20 आवेदक के विद्युत कनेक्शन का निरीक्षण दिनांक 23.4.2015 को किया गया। निरीक्षण के दौरान परिसर में 154 एचपी का लोड पाया गया जबकि स्वीकृत भार 45 एचपी था। अतः अनाधिकृत विद्युत उपयोग करने पर निर्धारण आदेश दिनांक 28.4.2015 को जारी किया गया।

21 अनावेदक का यह कथन कि उनके द्वारा आवेदक को अनंतिम निर्धारण आदेश रूपये 169901/– साधारण डाक से दिनांक 23.4.2015 को भेजा गया, जबकि नियमानुसार नोटिस कूरियर अथवा रजिस्टर्ड पत्र द्वारा भेजा जाना था। आवेदक द्वारा बताया गया कि उनको प्रथमबार दिनांक 9.8.2017 को वसूली का नोटिस प्राप्त हुआ।

22 अगर अनावेदक द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 4300–13–2004 दिनांक 22.7.2004 एवं क्रमांक 2312–तेरह–2006 दिनांक 7.4.2006 में बनाये गये नियम एवं क्रियान्वयन की विधि का अनुसरण किया जाता तो अनावेदक से चूक नहीं होती। परन्तु उनके द्वारा लापरवाही बरती गई जिससे कि प्रकरण में निकाली गई रिकवरी विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56 (2) के अनुसार काल वाधित हुई।

**अतः उपरोक्त निष्कर्षों के आधार पर आदेशित किया जाता है कि –**

अ आवेदक के विरूद्ध निकाली गई रिकवरी रूपये 169901/–/– विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56(2) के अनुसार काल वाधित हो चुकी है, अतः इस राशि की रिकवरी निरस्त की जाती है।

ब फोरम पत्र दिनांक 30.12.2017 अमान्य किया जाता है।

स उभय पक्ष प्रकरण में हुए व्यय को अपना–अपना वहन करेंगे।

23 आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो । आदेश की निःशुल्क प्रति पक्षकारों को दी जाए ।

**विद्युत लोकपाल**

**प्रतिलिपि :**

1. आवेदक की ओर प्रेषित ।
2. अनावेदक की ओर प्रेषित ।
3. फोरम की ओर प्रेषित ।

**विद्युत लोकपाल**